



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 माघ 1942 (श0)

(सं0 पटना 108) पटना, बुधवार, 10 फरवरी 2021

x'g foHkx
vflk;k t u fun'kky;

अधिसूचना
4 फरवरी 2021

सं० अ0नि0 (01) 23/2019-261/स्था0—वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.07.2010 द्वारा दिनांक 01.01.09 के प्रभाव से प्रवृत्त रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 504 दिनांक 16.01.14, परिपत्र सं० 8928 दिनांक 15.11.2017 एवं परिपत्र सं० 5152 दिनांक 12.05.13 तथा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं० 922 दिनांक 30.03.2011 एवं पत्रांक 1605 दिनांक 24.05.11 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार अभियोजन सेवा के निम्नांकित कार्यरत एवं सेवानिवृत्त अभियोजन पदाधिकारियों को वेतनमान PB3 + GP 6600, Level-11 में प्रथम, PB3 + GP 7600, Level-12 में द्वितीय एवं PB4 + GP 8700, Level-13 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Ø0	inkf/kdkjh dk uke@inuke@orieku inLFkkiu	lok e ;kxнку dh frfFk@ lok lEif'V dh frfFk	iFke lfuf'pr ofr mUu;u dh Lohdfr dh frfFk	f}rh; : ikUrfjr lfuf'pr ofr mUu;u dh Lohdfr dh frfFk	iFke} f}rh; ,o rrh; : ikUrfjr lfuf'pr ofUk mUu;u dh Lohdfr dh frfFk
1-	2-	4-	5-	6-	9-
1	Jh l}Un i!kn xIr अनु० अभि० पदाधिकारी, %lokfuor fnukd 30-11-2018%	25.04.1988 19.01.1991	25.04.2000	01.01.2009	25.04.2018 से rrrh; रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
2	Jh jke fd'kkj सहायक अभियोजन पदाधिकारी %lokfuor fnukd 31-07-2015%	02.04.1994 02.04.1996	02.04.2006	—	02.04.2014 से f}rh; रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।

Ø0	<i>inkf/kdkjh dk uke@inuke@orieku inLFkkiu</i>	<i>lok e; ;kxнку dh frfFk@ lok lEif'V dh frfFk</i>	<i>iFke lfuf'pr ofr mUu;u dh Lohdfr dh frfFk</i>	<i>f}rh; : ikUrfjr lfuf'pr ofr mUu;u dh Lohdfr dh frfFk</i>	<i>iFke] f}rh; ,o rrh; : ikUrfjr lfuf'pr ofUk mUu;u dh Lohdfr dh frfFk</i>
1-	2-	4-	5-	6-	9-
3	<i>Jh jhpM ejkMh</i> सहायक अभियोजन पदाधिकारी। <i>% lokfuor fnukd</i> 30-09-2016%	<u>12.04.1999</u> 12.01.2007	—	—	12.04.2009 से <i>iFke</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
4	<i>Jh txr ukjk; .k e.My</i> अनु० अभि० पदा०, से० ग्रे० <i>% lokfuor fnukd</i> 31-07-2020%	<u>24.09.1990</u> 30.07.2003	24.09.2002	—	24.09.2010 से <i>f}rh;</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
5	<i>Jh jkt:'k</i> अनु० अभि० पदाधिकारी, जिला अभि० कार्या०, हाजीपुर (वैशाली)।	<u>09.01.1999</u> 12.01.2007	09.01.2009	—	09.01.2019 से <i>f}rh;</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
6	<i>Jherh lxxhrk dekjh</i> अनु० अभि० पदाधिकारी, जिला अभि० कार्या०, पटना।	<u>11.01.1999</u> 26.06.2005	11.01.2009	—	11.01.2019 से <i>f}rh;</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
7	<i>Jh JhpUn e.My</i> अनु० अभि० पदाधिकारी, अनुमंडल अभियोजन कार्यालय, धमदाहा (पूर्वियाँ)।	<u>06.01.1999</u> 21.06.2009	21.06.2009	—	06.01.2019 से <i>f}rh;</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।
8	<i>Jh fnu:'k dekj 'kDy</i> सहायक अभियोजन पदाधिकारी जिला अभि० कार्या०, सारण (छपरा)।	<u>14.01.1999</u> 21.06.2009	—	—	14.01.2009 से <i>iFke</i> एवं 14.01.2019 से <i>f}rh;</i> रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन स्वीकृत।

2. वित्त विभागीय संकल्प सं० 630 दिनांक 21.01.10, संकल्प सं० 7566 दिनांक 14.07.10 एवं पत्रांक 3637 दिनांक 10.04.13 के अनुसार रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप उच्चतर वेतनमान में वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के आलोक में किया जायेगा। मौलिक नियमावली के नियम 22(1)(ए)(1) के प्रावधान के अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर वित्तीय उन्नयन की तिथि अथवा वेतन वृद्धि की तिथि को वेतन निर्धारण कराने के संबंध में अपना विकल्प कार्यालय प्रधान/महालेखाकार/वित्त(वै०दा०नि०को०) विभाग को समर्पित किया जायेगा।

आदेश से,
सुधांशु कुमार चौबे,
उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 108-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>